राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :–156/2025

दायर तारीख 12/06/2025

अनवान

01. सुरेश कुमार पुत्र बालुराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

............प्रार्थी

बनाम

01. बालकृष्ण पुत्र भंवरलाल जाति शर्मा उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

.... विपक्षी

उपस्थित :1. श्री मुकेश कुमार धाकड़ – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :26/08/2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता मुकेश कुमार धाकड ने **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षी पेश कर निवेदन किया/अनुतोष चाहा की प्रार्थी के स्वामित्व की खातेदारी ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां भू.अभि.निरिक्षक बिजौलियां तहसील बिजौलियां में स्थित खाता संख्या 686 खसरा नम्बर 1673/865 रकबा 0.2833 हैक्टेयर भूमि पर आने जाने के लिए 15 फीट चौड़ा रास्ता जो आराजी खसरा संख्या 1361 गेमू0 रास्ता से उतरी दिश में आराजी संख्या 855 रकबा 0.0243 हैक्टेयर के दक्षिणी पश्चिमी कोने में प्रवेश कर पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे विपक्षी की आराजी संख्या 854 रकबा 0.0486 हैक्टेयर में प्रवेश कर आराजी संख्या 854 के पश्चिमी भाग के सहारे सहारे होता हुआ प्रार्थी की आराजीयात में पहुंचता हैं। प्रार्थी कई वर्षो से निरन्तर इसी रास्ते को उपयोग उपभोग कर प्रार्थी द्वारा अपनी आराजीयात पर काश्त की जा रही है। रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को अपनी आराजियात में आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजियात पर काश्त करने के लिए आने–जाने हेतु ट्रेक्टर, बैलगाड़ी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थी को उक्त रास्ते के आने–जाने हेतु कभी भी अवरूद्ध किया जा सकता है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यह कि प्रार्थी को विपक्षी की उक्त आराजियात पर स्थित 15 फीट चौड़े रास्ते को रिकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजा को तैयार हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते को नियमानुसार कायम करवा कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दीयां संवत् 2075–2078 ग्राम बिजौलियां कलां एवं भू–नक्शा उक्त आराजीयात का पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दिनांक 12.06.2025 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षी तलबी जरिये नोटिश मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई । विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां को निरिक्षण/मौका रिपोट/तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए तहरीर पत्रांक/रीडर/2025/1508 दिनांक 23.07.2025 को जारी की गई। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां से स्थल रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/1350 दिनांक 14.08.2025 को प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी स्थल निरिक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम बिजौलियां कलां के खाता संख्या 686 आ.नं. 1673/865 रकबा 0.2833 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि खातेदार सुरेश कुमार पुत्र बालुराम धाकड सा0 लक्ष्मीनिवास के नाम दर्ज है। अप्रार्थी की आ.नं. 854 व 855 भूमि रेकार्ड में दर्ज रास्ता आ0नं0 1361 व खातेदार की आराजी के मध्य आती है। जिसमे से 15 फीट का रास्ता प्रार्थी द्वारा चाहा गया है, जो आ0नं0 854 मे से रकबा 0.0048 है0 व आ0नं0 855 मे से रकबा 0.0040 है0 भूमि बनती है। जिसकी SH से दूरी 506 मीटर NH से 440 मीटर, आबादी से 172 मीटर स्वीकृत व संभावित खनन क्षेत्र से 250 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक न्यूनतम दूरी का रास्ता नही है।

ग्राम बिजौलियां कलां की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आ0नं0 854 मे से रकबा 0.0048 है0 व आ0नं0 855 मे से रकबा 0.0040 है0 कुल किता 2 रकबा 0.0088 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 2118900/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 18647/– रूपये का दुगुना से 37294/– रूपये की राशि बनती है। तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ मौका पर्चा, नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रैस पेश किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त स्थल निरिक्षण रिपोर्ट को स्वीकार किया। पैरोकार सरकार ने किसी प्रकार का ऐतराज जांच रिपोर्ट पर नहीं किया। पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनने एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं कि:–

–: आदेश :–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** प्रार्थी के पक्ष में स्वीकार किया जात है कि प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी भूमि ग्राम बिजौलियां कलां के खाता संख्या 686 आ.नं. 1673/865 रकबा 0.2833 है0 किस्म बारानी प्रथम भूमि में स्वयं के पैदल, मोटर साईकल, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी से आने जाने के लिए रास्ते हेतु विपक्षी की आ0नं0 854 मे से रकबा 0.0048 है0 व आ0नं0 855 मे से रकबा 0.0040 है0 कुल किता 2 रकबा 0.0088 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुनकीन रास्ता (रास्ता पगडंडिया) अभिलिखित/दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम बिजौलियां कलां की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आ0नं0 854 मे से रकबा 0.0048 है0 व आ0नं0 855 मे से रकबा 0.0040 है0 कुल किता 2 रकबा 0.0088 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 2118900/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 18647/– रूपये का दुगुना से 37294/– रूपये की राशि बनती है। जो कि बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 26/08/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा